रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2019/ज्येष्ठ 1, 1941
No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 375(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की उप-धारा 295 के साथ पठित धारा 197क की उपधारा (1ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट 2 में प्ररूप संख्या 15ज के भाग 2 के टिप्पण 10 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसा व्यक्ति उस मामले में घोषणा को स्वीकार करेगा जहां निर्धारिती की आय, जो धारा 87क के अधीन आयकर की छूट के लिए पात्र है, उस आय से उच्चतर है जिसके लिए इस टिप्पण के अनुसार घोषणा स्वीकार की जा सकती है, किन्तु उक्त धारा 87क के अधीन उसे उपलब्ध छूट को ध्यान में रखने के पश्चात् उसका कर दायित्व कुछ नहीं होगा।"।

[अधिसूचना सं.41/2019/फा.सं. 370142/5/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 304(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किए गए थे ।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054